न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डार,(स0मा0)

पीठासीन अधिकारीः— वर्षा मीना (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
03/2019	16.04.2021	28.04.2026

1. गिर्राज पुत्र देवीलाल जाति गुर्जर निवासी बरनावदा तहसील खण्डार।
2. जगदीश पुत्र देवीलाल गुर्जर निवासी बरनावदा तहसील खण्डार।
3. भरोसी पुत्री देवीलाल पत्नि हनुमान गुर्जर निवासीबरनावदा हाल नि. फरिया तहसील खण्डार।
4. विमला पुत्री देवीलाल पत्नि घनश्यामगुर्जर निवासीबरनावदा हाल नि. आलनपुर तहसील सवाईमाधोपुर।
5. फोरन्ती पुत्री देवीलाल पत्नि बलेश गुर्जर निवासीबरनावदा हाल नि. छाण तहसील खण्डार।
6. सम्पत्ति पुत्री देवीलाल पत्नि शंकरगुर्जर निवासीबरनावदा हाल नि. तलावड़ा तहसील खण्डार।
7. गिर्राजी पुत्री देवीलाल पत्नि महावीर गुर्जर निवासीबरनावदा हाल नि. कानेटी तहसील खण्डार।

अपीलार्थीगण

बनाम

1. मुरारी पुत्र बदरी गुर्जर निवासी गोठड़ा तहसील खण्डार।
2. अयोघ्या पुत्री बदरी पत्नि श्यामा गुर्जर हाल निवासी खिदरपुर जाटान।
3. मनभर पुत्री बदरी पत्नि जुगराज गुर्जर हाल निवासी सेवती धर्मपुरी
4. लीला पुत्री बदरी पत्नि कैलाश गुर्जर हाल निवासी मेईकलां
5. ग्राम पंचायत बरनावदा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बरनावदा।

रेस्पोन्टस्गण

<u>अपील नामान्तकरण संख्या 1285 दिनांक 21.12.2015 ग्राम पंचायत बरनावदा</u>

उपस्थिति :—

श्री धर्मेन्द्र चौधरी, अन्जनी कुमार तेहरिया अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से
श्री रविशंकर अग्रवाल अधिवक्ता रेस्पोन्टस्गण की ओर से

निर्णय

1. प्रस्तुत अपील अपीलान्टस की ओर से राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत धारा 75 के विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 1285 निर्णय दिनांक 21.12.2015 ग्राम पंचायत बरनावदा के विरूद्ध पेश की है। अपीलाण्टस द्वारा अपील निम्न प्रकार पेश की गई है कि

- यह कि निर्णय ग्राम पंचायत गण्डावर नामान्तकरण संख्या 1285 दिनांक 21.12.2015 खिलाफ कानून एवं क्षैत्राधिकार से बाहर होने के कारण निरस्त होने योग्य है।
- यह है कि हमारा सजरा खानदान प्रस्तुत अपील मे पेश है।
- यह कि मृतक केदार अपीलाण्टान का बुजुर्ग था उसकी खातेदारी की आराजीयात खसरा नम्बर 256/3 रकबा 10 बीघा वाके [illegible]नावदा तहसील खण्डार में स्थित है। मृतक केदार लाऔलाद फोत हो गया [illegible]के अपीलान्टगण वारिसान है। मृतक केदार की खास बहन मृतक प्रथम उत्तराधिकारी [illegible] अपीलान्टगण 1 लगायत 7 खास उत्ताधिकारी है।
- यह कि केदार की मृत्यु के पश्चात उसकी [illegible]रासत कानामा० सं[illegible]ग्राम पंचायत बरनावदा ने विरासत का नामान्तकरण मुरारी के नाम खोलदिया है। जबकि विरासत का नामान्तकरण हम अपीलाण्ट गण 1 लगायत7 के नाम खोलना चाहिये था। क्योंकि मृतक

Signature Not Verified
Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.05.18 11:18:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स० मा०)

प्रेम मृतक केदार की सगीबहिन थी। तथा अपीलाण्टगण मृतक प्रेम के पुत्र/पुत्रीया है। एवं मृतककेदार के भानजा भानजी है। हिन्दू उत्तराधिकारी नियम में मृतक केदार के सगे भानजा/भानजी है। इसलिये केदार की खातेदारी में हमाराअपीलाण्टगण का हिस्सा है।

- यह कि ग्राम पंचायत ने नामा. जेर अपील खोलने से पूर्व हमें कोई नोटिसनहीं दिया ना ही सुनवाई का अवसर दिया, जबकि उक्त आराजी पर हमअपीलाण्टगण ही काबिज काश्त है तथा लगान सरकारी दे रहें है ।रेस्पोडेण्ट गण 1 लगायत 4 का उक्त आराजी पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है।
- यह कि ग्राम पंचायत को कोम्पलीसरेण्ट विरासत का नमान्तकरण खोलनेका क्षेत्राधिकार नहीं है। केवल तहसीलदार को ही विरासत कानामान्तकरण खोलने का अधिकार है। इसलिए ग्राम पंचायत का निर्णय विदाउट क्षेत्राधिकार है। जिसे किसी भी समय अपास्त किया जा सकताहै ।
- यह कि नामान्तकरण समुचित व पर्याप्त कोरम के अभाव में निरस्त होनेयोग्य है।
- यह कि नामान्तकरण जेर अपील का मुझे कोई इल्म नहीं था क्योंकिहम पढ़े-लिखे नही है। तथा हम अपीलाण्टगण ही उक्त आराजी परअपने 2 हिस्से पर काबिज है। इसलिए उक्त नामा. जेल बहस अपीलको अपास्त कराने का हम विधिक अधिकार हॉसिल है। उक्त आराजी परमृतक केदार के समय से हम अपीलाण्ट गण का कब्जा काश्त है।
- यह कि दिनांक 31.3.2019 को अपीलाण्ट गण अपने हिस्से की आईजमीन की फसल की सार सम्भाल करने गये तो रेस्पोडेंट ने कहा कि यहसम्पूर्ण जमीन मेरी है। इस जमीन का मैने नामान्तकरण खुलवा कर मेरेनाम करवा ली है। जिस पर अपीलाण्टगण ने तहसील खण्डार मेंतलाश की तो पता चला कि नामान्तकरण गलत खोल दिया गया है। लिहाजा अपीलाण्ट ने नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 1.04.2019 को नकल प्राप्त कर माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।
- यह कि अपील उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश है।
- यह कि अपील हाजा की सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय कोप्राप्त है।
- अतः अपील अपीलाण्टगण प्रस्तुत कर निवेदन है किअपीलाण्टगण की अपील स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तकरण सं0 1285 दिनांक 21.12.2015 ग्राम पंचायत बरनावदा द्वारा खोला गाया निरस्त फरमाया जावें एवं अपीलाण्टगण 1 लगायत 7 के नाम नामान्तकरण खोलने के आदेश सादर फरमाये जावें।

2. अपील पेश होने पर कार्यालय रिपोर्ट उपरान्त दर्ज रजिस्टर किया गया। रैस्पो0 को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रैस्पो0 1 लगायत 6 के द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। तहसीलदार खण्डार से मूल नामान्तकरण तलब किया गया।

3. वकील अपीलाण्ट बहस सुनी गई। अपीलान्टस ने बताया गया है कि ग्राम पंचायत गण्डावर नामान्तकरण संख्या 1285 दिनांक 21.12.2015 के द्वारा मृतक केदार का नामान्तकरण रेस्पोन्टस संख्या 01 के नाम खोल दिया गया। मृतक केदार लाऔलाद फोत हो गया उसके अपीलान्टगण वारिसान है। मृतक प्रेम मृतक केदार की सगी बहिन थी। तथा अपीलाण्टगण मृतक प्रेम के पुत्र/पुत्रीया है। एवं मृतक केदार के भानजा भानजी है। हिन्दू उत्तराधिकारी नियम में मृतक केदार के सगे भानजा/भानजी है। इसलिये केदार की खातेदारी में अपीलाण्टगण का हिस्सा है। अपीलाण्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तकरण सं0 1285 दिनांक 21.12.2015 ग्राम पंचायत बरनावदा द्वारा खोला गाया निरस्त फरमाया जावें एवं अपीलाण्टगण 1 लगायत 7 के नाम नामान्तकरण खोलने के आदेश सादर फरमाये जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.05.18 11:18:56 IST
Reason: SelfAttested

4. वकील रेस्पोंडेंट्स द्वारा बहस में तर्क किया गया कि अपीलान्टस् ने अपने प्रार्थन पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रेम की मृत्यु कब हुई है। प्रेम की मृत्यु केदार से पहले ही हो चुकी थी। इसलिए सम्पति ज़रिये विरासत जीवित वारिसन केदार के भाई/बहन ही प्राप्त

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स0 मा0)

करने के अधिकारी है। भांजा/भांजी का उक्त अरजी में हिंदू उतराधिकार अधिनियम के तहत कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अपील खारिज योग्य है।

5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान उभयपक्ष अभिभाषक की बहस पर मनन किया। यह अपील ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 1285 दिनांक 21.12.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। उक्त नामांतरकरण द्वारा खसरा संख्या 256/3 वाके ग्राम बरनावदा में केदार पुत्र बदरी के फौत होने पर हकत्याग एवं विरासत से वारिसों के नाम खातेदारी भूमि दर्ज की गई है। अपीलांट का तर्क है कि मृतक केदार के विरासत का नामांतरकरण गलत रूप से केवल रेस्पोंडेंट संख्या 1 मुरारी के नाम दर्ज किया है जबकि उक्त सम्पति में अपीलांट भी मृतक केदार के संगे भांजा भांजी होने के नाते उत्तराधिकारी है।

6. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 अनुसार निर्वसियत मरने वाले हिंदू पुरुष की सम्पति निमांलिखित को न्यायगत होगी: –

(क) प्रथमतः, उन वारिसों को, जो अनुसूची के वर्ग 1 में विनिर्दिष्ट संबंधी है;

(ख) द्वितीयतः, यदि वर्ग 1 में वारिस ना हो तो उन वारिसों को जो अनुसूची के वर्ग 2 में विनिर्दिष्ट संबंधी हैं:

(ग) तृतीयतः, यदि दोनों वर्गों में से किसी में कोई वारिस न हो तो मृतक के गोत्रजों को; तथा

(घ) अंततः, यदि कोई गोत्रज न हो तो मृतक बंधुओं को ।

7. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 9 अनुसार अनुसूची में विनिर्दिष्ट वारिसों में वर्ग 1 के वारिस एक साथ और अन्य सभी वारिसों के अपवर्जन करते हुए अंशभागी होंगे; वर्ग 2 में पहली प्रविष्टि के वारिसों को दूसरी प्रविष्टि के वारिसों की अपेक्षा अधिमान प्राप्त होंगे; दूसरी प्रविष्टि के वारिसों को तीसरी प्रविष्टि के वारिसों की अपेक्षा अधिमान प्राप्त होगा और इसी प्रकार आगे क्रम से अधिमान प्राप्त होगा।

अनुसूची के वर्ग 2 में 9 प्रविष्टियाँ है जिनमे से प्रथम 4 प्रविष्टियाँ निम्नानुसार हैः

I- पिता

II- (1) बेटे की बेटी का बेटा, (2) बेटे की बेटी की बेटी, (3) भाई, (4) बहन।

III- (1) पुत्री के पुत्र का पुत्र, (2) पुत्री के पुत्र की पुत्री, (3) पुत्री की पुत्री का पुत्र, (4) पुत्री की पुत्री की पुत्री।

IV- (1) भाई का बेटा, (2) बहन का बेटा, (3) भाई की बेटी, (4) बहन की बेटी।

8. विचाराधीन प्रकरण में मृतक केदार ना औलाद फ़ौत हुए थे। नामांतरण दर्ज करते समय वर्ग 1 का कोई उतराधिकारी जीवित नहीं होना प्रतीत होता है इसलिए धारा 8 व 9 अनुसार वर्ग 2 के वारिस में से उताराधिकारी तय किए जाएँगे। अपीलांट द्वारा सजरा ख़ानदान इस आशय का प्रस्तुत किया है कि केदार पुत्र बदरी का एक भाई मुरारी है एवं बहनें अजोध्या, लीला, मनभर, प्रेम (फ़ौत) है। अपीलांट मृतक केदार की बहन मृतक प्रेम के पुत्र और पुत्रियाँ है। इस प्रकार अपीलांट वर्ग 2 में प्रविष्टि 4 के वारिस है। इसके विपरीत रेस्पोंडेंट संख्या 1 लगायत 4 प्रस्तुत सजरा अनुसार मृतक केदार के भाई व बहन है अतः वर्ग 2 में प्रविष्ट 2 के वारिस है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 9 अनुसार वर्ग 2 के द्वितीय प्रविष्टि के वारिसों को तृतीय व चतुर्थ प्रविष्टि के वारिसों से वरीयता मिलेगी। इस प्रकार यदि वर्ग 2 के द्वितीय प्रविष्टि के वारिस जीवित है तो तृत्य व चतुर्थ प्रविष्ट के वारिस संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं होंगे।

9. रेंस्पोंडेंट ने अपनी बहस में तर्क किया है कि प्रेम की मृत्यु केदार से पूर्व हो चुकी थी इसलिए विवादित आरजी में अपीलालंट का हिस्सा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार नहीं था। पत्रवाली का अवलोकन किया। नामांतरण दर्ज करते समय चूँकि प्रकरण में वर्ग 2 के द्वितीय प्रविष्ट के वारिस जो की रेंस्पोंडेंट संख्या 1 लगायत 4 है जीवित थे तो चतुर्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.05.18 11:18:56 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स० मा०)

प्रविष्ट के वारिस यानी अपीलंट अंशभोगी नहीं थे। अपीलांट ने अपनी अपील में कही भी यह स्पष्ट नहीं किया है की उनकी माता प्रेम की मृत्यु कब हुई है और न ही अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है जिससे यह सिद्ध हो कि केदार की मृत्यु के पश्चात नामांतकरण संख्या 1285 दर्ज करते समय प्रेम जीवित थी। नामांतकरण दर्ज करते समय यदि प्रेम जीवित थी तो ही प्रेम का हिस्सा विवादित सम्पति में तय किया जा सकता था। भाई/बहन के पुत्र या पुत्री को भाई/बहन के समान वरीयता प्राप्त नहीं है। अपीलांट विवादित आरजी में रिस्पोंडेंट के समान उतराधिकारी सिद्ध नहीं होते है। मेरी विनम्र राय में नामांतकरण संख्या 1285 दिनांक 21.12.2025 को निरस्त करने का कोई कारण नहीं है।

10. उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलान्टस् की अपील सारहीन होने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

11. परिणामस्वरूप अपीलान्टस् के द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हों। मूल नामान्तकरण तहसीलदार खण्डार को भिजवाये जाने हेतु पृथक से तहरीर जारी हों।

यह निर्णय आज दिनांक 28.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी खण्डार (स. मा.)

(वर्षा मीना)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स.मा.)

उपखण्ड अधिकारी खण्डार (स० मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.05.18 11:18:56 IST
Reason: SelfAttested